



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(प्रारूप-"अ")

GP 837234

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मैसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सचिव द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी रूप-पत्र का प्रारूप

हम राम सानेर (नाम अध्यक्ष) एवं अमय प्रताप सिंह (नाम सचिव) कमत अखड़ा एवं सचिव दाबू युगराज सिंह सेवा संस्थान, (सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम एवं पता) नई बाजार, खागा, फतेहपुर (30040) शपथपूर्वक निम्नवात बयान करते हैं-

1. यह कि, हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा अमय प्रताप सिंह फार्मैसी कॉलेज (संस्थान का नाम एवं पता) जाफराबाद, बिन्दकी, फतेहपुर (30040) नामक डिप्लोमा इन फार्मैसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि, हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम राम-जाफराबाद, तहसील बिन्दकी व जनपद-फतेहपुर (पता जहाँ पर भूमि स्थित है) में गाटा संख्या 1169 एवं 1170 रकबा कमत: 0.3600 हेक्टेयर एवं 0.4740 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.8240 हेक्टेयर) भूमि है।
3. यह कि, उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 1169 एवं 1170 रकबा कमत: 0.3600 हेक्टेयर एवं 0.4740 हेक्टेयर (कुल रकबा 0.8240 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मैसी संस्थान की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 05.10.2018 द्वारा पारित किया गया है।

राम सानेर

अमय प्रताप सिंह

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही द्रमनगत डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित भवनों के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के सम्मत् उपरोक्त प्ले पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के सम्मत् निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रविष्टान प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तराखण्ड से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईटीआई/आईटि आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैयारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा रात्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का पालन करेगा। यदि भरे संस्थान में किसी भी समय स्थानीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे बाध्य होगा। इस हेतु भरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि भरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटस्थित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो भरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी को गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

हो अध्यक्ष

विमल कुमार

अध्यक्ष, आर.एस.एस. अकादमी प्रताप सिंह

10/10/2023

NOTARY

02-9-2023

हो सचिव

विमल कुमार